14/5/22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण लोक अदालत की भावना से स्वीकार होने के योग्य है वादी द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के आदेश की पालना पंचाट की जा चुकी है जिसकी ~~[illegible]~~ पृथक से [illegible] शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

14.5.22

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

14.5.22

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

राष्ट्रीय लोक अदालत

अवार्ड (पंचाट)

सीताराम बनाम जौहरया वगै0

वादी: सीताराम पुत्र बीला जाति गुर्जर निवासी झालरा का बास दौसा जिला दौसा।

प्रतिवादीगण: 1. जौहरया पुत्र श्रीया 2. श्रवण पुत्र ग्यारसा 3. रामफूल पुत्र ग्यारसा 4. राजाराम पुत्र ग्यारसा 5. गिर्राज पुत्र रामकरण 6. सुरेश पुत्र रामकरण 7. कैलाशी पत्नी छाज्या 8. रोशन पुत्री छाज्या 9. वीरू पुत्र छाज्या 10. सीता पुत्री छाज्या 11.राजकुमार पुत्र छाज्या समस्त जाति गुर्जर निवासी झालरा का बास दौसा जिला दौसा।
12 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दौसा।
13 तहसीलदार दौसा।

प्रकरण संख्या: 22/2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

निर्णय दिनांक : 14.05.2022

डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन पत्र

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण सीताराम बनाम जौहरया वगैराह (प्रकरण सं0 22/2017) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 द्वारा वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 मुताबिक राजीनामा इस आशय से डिक्री किया जाता है कि खसरा नं0 2567 रकबा 0.66 है0, 2568 रकबा 0.94 है0, 2569 रकबा 0.47 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 2.07 है0 में वादी सीताराम पुत्र बीलाराम का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या–1 जौहरया पुत्र श्रीया का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 श्रवण, रामफूल, राजाराम पुत्रान ग्यारसा, गिर्राज सुरेश पुत्रान रामकरण, कैलाशी पत्नी छाज्या, रोशन पुत्री छाज्या, वीरू पुत्र छाज्या, सीता पुत्री छाज्या नाबालिग जरिये माता कैलाशी पत्नी छाज्या, राजकुमार पुत्र छाज्या नाबालिग जरिये माता कैलाशी पत्नी छाज्या का हिस्सा 1/3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार दौसा को आदेश दिए जाते है कि तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। राजीनामा डिक्री निर्णय का पार्ट रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तकरण सं0 1887 द्वारा पालना की जा चुकी है। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दौसा ने न्यायालय के आदेश की पालना करना अवगत कराया है।

अतः प्रकरण लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण वादी द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। चूँकि तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार न्यायालय के आदेश की पालना की जा चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है। अतः प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

Sneh 14.5.22

(स्नेहा जाखड़)
(प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
(अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) दौसा)
राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

14.5.22

(संजय कुमार गोरा)
(उपखण्ड अधिकारी, दौसा)
राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच